राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

क्रमांकः एफ.701( )पराविं / प्रशा.1 / सहा.अभि. / मेड़ता / नागौर / 4406 जयपुर,दिनांकः 10.10.22

:: आदेश ::

श्री रामपाल डूडी, सहायक अभियन्ता, मेड़ता द्वारा उनको विभागीय आदेश क्रमांक 3065 दिनांक 26.07.2022 के माध्यम से मेड़ता से जैतारण में किया गया स्थानान्तरण पर अपना ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। राजस्थान सिविल सेवा अपील प्राधिकरण, जयपुर द्वारा अपने आदेश दिनांक 24.08.2022 में श्री डूडी के ज्ञापन को सुनकर Speaking Order निकालने को कहा गया है। श्री रामपाल डूडी को जिला नागोर में रियांबडी से मेड़ता में दिनांक 28.09.2021 को लगाया गया। अब उनका स्थानान्तरण जैतारण पाली में किया गया है और नियमानुसार सक्षम स्वीकृत द्वारा ही आदेश जारी किए गए है। श्री डूडी को बहुत अधिक दूर पदस्थापित किया गया हो, ऐसा स्थानान्तरण आदेश से जाहिर नहीं हो रहा है। वे नागौर जिले में ही पदस्थापन चाहते है, जो किसी भी सेवा नियम में अधिकारियों द्वारा अपने अधिकार में क्लेम नहीं किया जा सकता है। अतः श्री डूडी द्वारा अपने स्थानान्तरण के विरूद्व प्रस्तुत किया गया ज्ञापन पोषणीय नहीं है और उन्हें यह निर्देश दिया जाता है कि वे अविलम्ब जिला पाली की जैतारण पंचायत समिति में अपना पदभार ग्रहण करें।

(नवीन जैन)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक, पंचायती राज विभाग।
3. संयुक्त विधि परामर्शी, मुख्यालय को राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में दायर अपील संख्या 2836/2022 में पारित आदेश दिनांक 24.8.2022 के क्रम में सूचनार्थ।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद नागौर/पाली।
5. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद नागौर/पाली।
6. विकास अधिकारी पंचायत समिति मेडता (नागौर)/जैतारण (पाली) को प्रेषित कर लेख है कि वह उक्त आदेशों की अक्षरशः पालना अविलम्ब सुनिश्चित करावें।
7. श्री रामपाल डूडी कनिष्ठ अभियन्ता को प्रेषित कर लेख है कि वह अविलम्ब उक्त आदेशों की पालना में नवपदस्थापित स्थान पर अपनी उपस्थिति प्रस्तुत कर पालना जरिये ई-मेल विभाग को प्रेषित करावें।
8. प्रभारी अधिकारी सम्बन्धित कोर्ट केस।
9. ए.सी.पी. मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
10. आदेश पत्रावली।

(घनश्याम शर्मा)
उपायुक्त एवं शासन उप सचिव (द्वितीय)